

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत  
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी  
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. -0771-2574700

अपील प्रकरण क्रमांक

श्री पल्ले ताम्रकार  
दुर्गा मेडिकोज, तमेरपारा  
दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

श्री सुनील कुमार खरे  
जन सूचना अधिकारी  
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

O/o. E.D. (EITC) CSPDCL Raipur Receipt No. 5053 Date .05.NOV..2018... AGM(IT) SE (O)/SE ..... EE ...website..... Section .....
---

08/2018 दिनांक 28.09.2018

अपीलार्थी

प्रतिअपीलार्थी

--: आदेश :-

(दिनांक 26.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 08/2018 दिनांक 28.09.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:-

वर्ष 2008-09 में सहायक अभियंता पद के विरुद्ध नियुक्त सहायक प्रबंधक के विभाग निर्धारण संबंधी B.O.D. का निर्णय एवं आरक्षण नियमों के पालन किये गये नियम की सत्यापित प्रति।

उक्ताशय के संदर्भ में --- आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः नियमानुसार जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने बाबत अपील प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01-02/अ.अ./प्र.क्र. -08/2018/27 दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 26.10.2018 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी -09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री ताम्रकार को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। जिसकी सूचना दूरभाष के द्वारा भी दी गई। उक्त निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण में आये तथ्यों के

आधार पर अपीलार्थी को प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। अतएव गुण दोष के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) उक्त तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी के तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2317 दिनांक 19.09.2018 के माध्यम से आवेदक को अवगत कराया गया कि "वांछित जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक यथा विस्तृत रूप में है। अतः अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अंतर्गत आप किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उल्लेखित दूरभाष क्रमांक पर संपर्क स्थापित कर पूर्व सूचना देकर इस कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित नस्तियों/दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित करें। चिन्हांकन उपरांत उक्त जानकारी/दस्तावेज आपको नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।" किन्तु आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेजों/नस्तियों का अवलोकन किये बगैर ही सीधे इस कथन के साथ प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है कि 'उन्हे आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।' जबकि उन्हे उनके द्वारा दिये गये पते पर वांछित दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित करने के पश्चात् उन्हे जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने बाबत् सूचित किया गया है।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि मूल आवेदन में वांछित जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी गयी, अतः नियमानुसार जानकारी निःशुल्क प्रदान करें।

(iii) उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित जानकारी/दस्तावेज के संबंध में उल्लेखित कंडिका 04/टीप के अनुसार आवेदक को नियमानुसार दस्तावेज/अभिलेख का अवलोकन किये जाने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा दस्तावेज का अवलोकन किये बगैर ही अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है, जो तर्क हीन है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह तर्कसंगत परिलक्षित होती है। क्योंकि वांछित जानकारी विस्तृत रूप में यथा 50 पृष्ठों से अधिक होने के फलस्वरूप धारा 7 (9) के अंतर्गत अपीलार्थी को दस्तावेजों का अवलोकन कर वांछित जानकारी चिन्हित किये जाने हेतु उनके द्वारा दी गई पते पर अवगत करायी गई है। किन्तु उनके द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने का लेख किया गया है, जो विधि संगत नहीं है। अतएव परिणामतः अपीलार्थी कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में उपस्थित होकर उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन व जानकारी



चिन्हित कर नियमानुसार अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 08/2018 दिनांक 28.09.2018) अस्वीकार कर एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)

अपीलीय अधिकारी

सह महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

रायपुर, दिनांक 28/10/2018

क्रमांक 01-02/अपील प्रकरण -08/2018/ 35

प्रतिलिपि:-

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंधक (मा.सं.)-आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री पल्ले ताम्रकार, दुर्गा मेडिकोज, तमेर पारा, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता:- सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर

जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन - 492002

दूरभाष-0771-2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)

अपीलीय अधिकारी

सह महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574700

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर - 492013, (छ.ग.)  
दूरभाष - 2574700, फ़ैक्स - 0771-2574157, वेबसाइट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.cspchl@cspc.co.in